

# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 19/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 15.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 15.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

### 01.थाना- कोतवाली: चोरी की दो घटनाओं का अनावरण, चोरी गये सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

#### पूर्व की घटना/इतिहास -

अवगत कराना है कि वादिनी शमा शाहीन मा0 प्रा0 वि0 मोजरापुर शि0 क्षे0 पल्हनी आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 4/9/24 को प्रातः 7.45 पर विद्यालय का ताला खोलने पर ज्ञात हुआ कि कक्षा 2 का ताला तोड़कर उसमे से 2 बोरी गेहूँ और एक बोरी चावल अज्ञात लोगो द्वारा चोरी किया गया साथ मे 2 कुर्सी भी कक्षा से चोरी हुई है और बड़े बाक्स को खींचकर ले जाने का प्रयास किया गया है । तत्काल 112 न0 पर सम्पर्क करके सूचना दे दी गयी थी और पुलिस फोर्स द्वारा पूरा निरीक्षण किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 0491/24 धारा 331(4), 305 बीएनएस दि. 5.9.2024 पंजीकृत किया गया है।

वादी अंगद यादव पुत्र स्व0 इन्द्रदेव यादव निवासी ग्राम पगरा थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मेरे गांव मे पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है जिसमे दिनांक 10/11.01.25 की रात मे अज्ञात चोर द्वारा निर्माणाधीन पंचायत भवन की दीवार मे लगे 08 जंगले अज्ञात चोरो द्वारा दीवाल से निकालकर चोरी कर लिया गया है मै पगरा गांव वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 18/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस दि. 13.1.25 को पंजीकृत किया गया।

#### गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक- 14.01.2025 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे, उ0नि0 प्रदीप वाजपेयी, हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये 02 अभियुक्त 1. रवि पुत्र विनोद राम साकिन चक मिसरौली सरफुद्दीनपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष, 2. अरविन्द कुमार पुत्र हरिराम निवासी ग्राम पगरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष को चोरी का 4 जंगला व 2110 रूपया के साथ समय 23.40 बजे बद्दोपुर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

#### अभियुक्त का विवरण:-

1. रवि पुत्र विनोद राम साकिन चक मिसरौली सरफुद्दीनपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष,
2. अरविन्द कुमार पुत्र हरिराम निवासी ग्राम पगरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1- कब्जे से चोरी का 4 जंगला व 2110 रूपया बरामद

पंजीकृत अभियोग -

1-मु0अ0सं0 18/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

अरविन्द कुमार पुत्र हरिराम निवासी ग्राम पगरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष

1.मु0अ0सं0 491/24 धारा 331(4), 305 बीएनएस

2. मु0अ0सं0 18/25 धारा 303(2), 317(2) बीए नएस

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1- उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे, उ0नि0 प्रदीप वाजपेयी, कां0 अंकुर गोड़, कां0 अखिलेश कुशवाहा, कां0 आशीष यादव,  
0 अजय कुमार यादव थाना कोतवाली आजमगढ़



## 02.थाना- कन्धरापुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का विवरण –

अवगत कराना है कि आज दिनांक 15.01.25 को व0उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह उ0नि0 जयप्रकाश उ0नि0 प्रशान्त सिंह को सूचना मिली कि तीन व्यक्ति जो इसहाकपुर पावर हाऊस से मेन रोड पर उत्तर पूरब साइड में पुलिया से करीब 50 मीटर उत्तर सूनसान क्षेत्र मे खड़े है और बड़ी घटना जैसे छिनैती, लूट ,चोरी की घटना को अन्जाम देने के फिराक मे है और तीनों के पास अवैध असलहा है इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँचकर समय करीब 03.15 बजे तीनों व्यक्तियों को हिरासत कब्जा पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना कंधरापुर मु0अ0सं0 12/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1.राजन यादव उर्फ शुभम यादव पुत्र सोचन यादव निवासी कीरतपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष
2. सन्दीप गुप्ता उर्फ अमन गुप्ता पुत्र दयाराम गुप्ता निवासी आजमपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष
3. अभिनव यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी आजमपुर चकिया थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

1-01 अदद देशी पिस्टल .32 बोर व 02 अदद देशी तमंचा .315 बोर , 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।  
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 12/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर, आजमगढ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता
2. व0उ0नि0 रमेश कुमार
3. उ0नि0 जयप्रकाश
4. उ0नि0 प्रशान्त सिंह
5. का0 आशीष कुमार
6. का0 उपेन्द्र कन्नौजिया
7. का0 अमरेश कन्नौजिया थाना कन्धरापुर, आजमगढ ।



### 03.थाना सिधारी: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण-

गैंग लीडर रंजना मिश्रा पत्नी विक्रान्त मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ अपने सह अभियुक्त / सदस्य 1. विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्य प्रकाश मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रहा है, जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। दिनांक 14.04.23 को आवेदक श्री रामजनम यादव पुत्र स्व० रामबली यादव निवासी ग्राम महुआ थाना जहानागंज आजमगढ द्वारा थाना जहानागंज पर एक किता तहरीर बावत देवेन्द्र मिश्रा व रंजना मिश्रा निवासी बभनौली जिला सन्तकबीरनगर जो वर्तमान समय में महिला कल्याण विभाग आजमगढ में काम करती हैं। हमको रानी की सराय में बाईपास के पास आधा विस्वा जमीन देने के लिये दिखाये और हम से एक लाख 50 हजार रुपया नगद व एक लाख 50 हजार रुपया विकास यादव व घनश्याम के खाते से खाता संख्या 111034XXXXX से रंजना मिश्रा के खाता संख्या 390369XXXXX में लिये और हमें जमीन दूसरे का दिखाकर हमारे साथ धोखाधड़ी किये हमे जमीन भी नहीं दिये और पैसा मांगने पर हमें अपशब्दों का प्रयोग कर रहे है और रंजना मिश्रा व देवेन्द्र मिश्रा कह रहे है कि ज्यादा बोलोगे तो हम तुम्हें जान से मरवा देंगे या मुकदमे में फसा दूंगी के सम्बन्ध मे तहरीर दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर मु०अ०स० 173/23 धारा 420,406,504,506 भादवि बनाम 1. विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्य प्रकाश मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ 2. रंजना पत्नी विक्रान्त मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ के विरुद्ध अभियोग पंजीकरण कर विवेचना उ०नि० श्री ओम प्रकाश यादव को सुपुर्द की गयी दौराने विवेचना विवेचक द्वारा दिनांक 17.07.23 को बाद साक्ष्य संकलन , बयान गवाहान व अन्य संकलित साक्ष्यो के आधार अभियुक्त 1. विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्य प्रकाश मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ। 2. रंजना पत्नी विक्रान्त मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ के विरुद्ध धारा 420,406,504,506 मे आरोप पत्र संख्या ए-265/23 मा० न्यायालय प्रेषित किया गया। जो मा० न्यायालय मे विचाराधीन है।

तत्पश्चात दिनांक 26.02.23 को थाना सिधारी पर आवेदिका मुन्नी देवी पत्नी संजवन गौड निवासी कांशी राम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत रंजना मिश्रा पत्नी विक्रान्त मिश्रा बहुत ही चालबाज व षडयन्त्रकारी व धोखेबाज महिला है। उसका एक संगठित गिरोह है। अपने जाल में फंसा कर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार को अपने विश्वास में लेकर प्रार्थिनी के पुत्र आकाश गौड़ को गोरखपुर एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर प्रार्थिनी से नकदी व आभूषण मिलाकर कुल 251850/रूपये रंजना मिश्रा ने ले लिया तथा फर्जी व जाली नियुक्ति पत्र बना कर दे दिया। जब प्रार्थिनी का पुत्र नियुक्ति पत्र लेकर गोरखपुर एयर पोर्ट पर गया तो वहाँ से डांट कर भगा दिया गया। तब प्रार्थिनी ने अपना पैसा रंजना मिश्रा से वापस मांगाना शुरू किया किसी प्रकार रंजना मिश्रा ने कुल 23000/ (तेइस हजार) रू प्रार्थिनी को वापस किया शेष 228850/रू० वापस करने से इन्कार कर दिया। रूपया माँगने पर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पुत्र को गम्भीर मुकदमे में फंसाने व जान माल की क्षति करने की धमकी देने लगी। रंजाना मिश्रा ने आवाश में रहने वाले अन्य कई लोगों से भी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखो रूपया ले रखा है। प्रार्थिनी ने कुछ रूपया नकद व कुछ रूपया रंजना मिश्रा के बैंक खाते मे ट्रांसफर करके दिया था पैसा वापस मांगने पर रंजना मिश्रा व विक्रान्त मिश्रा तथा उसका रिश्तेदार गौरव मिश्रा आये दिन प्रार्थिनी को गाली गलौज व धमकी देकर परेशान कर रहे है। प्रार्थिनी को चुप कराने व प्रार्थना पत्रों को उठा लेने हेतु दबाव बना रहे है। प्रार्थिनी पर दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पुत्र आकाश के विरुद्ध झूठा फर्जी प्रार्थना पत्र दे कर परेशान कर व करा रहे है के आशय का दाखिल किये की दाखिला तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु०अ०स० 94/23 धारा 419,420,468,471,406,506,504 भादवि बनाम 1. रंजना मिश्रा 2.विक्रान्त मिश्रा उपरोक्त के अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना उ०नि०अवधेश कुमार को सुपुर्द की गयी दौराने विवेचना विवेचक द्वारा तमामी विवेचना, बयान वादिनी, बयान गवाहान, बयान स्वतंत्र साक्षी, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन

बैंक स्टेटमेंट व अन्य साक्ष्य सकलन से अभियुक्ता रंजना मिश्रा पत्नी विक्रान्त शर्मा निवासी जमालपुर पोस्ट सैदपुर गड़ऊर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर हाल पना काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध धारा 419/420/468/471/406/504/506 भादवि व अभियुक्त विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्यप्रकाश मिश्रा निवासी जमालपुर पोस्ट सैदपुर गड़ऊर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर हाल पता काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध जुर्म धारा 504/506 भादवि मे जरिये आरोप पत्र संख्या 343/23 दिनांक 16.11.2023 मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। जो मा0 न्यायालय से विचाराधीन है। तत्पश्चात दिनांक 24.08.23 को आवेदिका श्रीमती आसिया बानों पत्नी मोहम्मद आजम साकिन/मुहल्ला रैदोपुर डीएवी स्कूल के पीछे काशीराम आवास ब्लॉक 33/393, पो/तहसील सदर, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर एक किता प्रार्थना पत्र बावत रंजना मिश्रा पत्नी देवेन्द्र मिश्रा जो की डूडा मे काम करती है ने हम प्रार्थिनी से कहा कि मैं तुम्हे काशीराम आवास डीएवी कालेज कालेज के पीछे सदर, आजमगढ़ आवास एलाट करा दूंगी और यह भी कहा कि इसके लिये अधिकारियों को कुछ रुपये पैसे देने पड़ते है उक्त रंजना मिश्रा ने कहा कि पचपन हजार रुपये लगेंगे मै उसी विभाग में कार्य करती हूँ तुम्हे मकान दिला सकती हूँ उसकी बातो पर विश्वास करके हम प्रार्थिनी ने अपने पति जो विदेश मे सिलसिले रोजी रोटी रहते है से बात किया और मेरे पति ने उक्त रंजना मिश्रा के खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया सिविल लाइन, आजमगढ़ के खाता स0- 39036943729 मे अपने खाता से तथा आनलाइन से विभिन्न तारीखो मे पचपन हजार रुपये भेज दिये। अब उक्त रंजना मिश्रा न तो हम प्रार्थिनी का मोबाइल उठा रही है और बात करने पर यदि बात हो रही है तो वह हम प्रार्थिनी को गाली गलौज दे रही है तथा मेरी पुत्री का अपहरण करवाने की धमकी देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 475/23 धारा 420,406,504,506 भादवि बनाम रंजना मिश्रा उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 योगेन्द्र नाथ दुबे को सुपुर्द की गयी दौराने विवेचवा विवेचक द्वारा तमामी विवेचना, बयान वादिनी, अवलोकन स्टेटमेंट, बयान गवाह व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियुक्ता रंजना मिश्रा पत्नी देवेन्द्र मिश्रा निवासनी हाल पता म0न0 2/13 काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ स्थाई पता बभनौली थाना धनकटा जनपद सन्त कबीरनगर के विरुद्ध दिनांक 14.09.2024 को जरिये आरोप पत्र संख्या ए-1 मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन मा0 न्यायालय है। उक्त गिरोह द्वारा उपरोक्त आपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए किया गया है। गिरोह द्वारा उक्त अपराध करके लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न / सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त किया है। इस गिरोह की सक्रियता अन्तर जनपदीय है। उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य केस उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2(ख) की उपधारा एक में आच्छादित है, अभियुक्तगण उपरोक्त के अपराध पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। प्र0नि0 कोतवाली शशिमौली पाण्डेय द्वारा गैंगचार्ट अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ द्वारा दिनांक 31.12.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के साथ संयुक्त बैठक मे विचार विमर्श के दौरान अनुमोदित कराया गया। जिस पर थाना कोतवाली आजमगढ़ पर गैंगलीडर रंजना मिश्रा पत्नी विक्रान्त मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ व सह अभियुक्त / सदस्य 1. विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्य प्रकाश मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2025 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप ( निवारण ) अधिनियम, 1986 का अभियोग दिनांक 31.12.2024 को पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना प्र0नि0 सिधारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

### गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 14.01.2025 को प्र0नि0 शशि चन्द चौधरी थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह निरीक्षक भगत सिंह यादव, द्वारा मुकदमा उक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्यप्रकाश मिश्रा निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मूल पता ग्राम मनवल पोस्ट सैदपुर गड़ऊर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र

औसत करीब 25 वर्ष व अभियुक्ता रंजना मिश्रा पत्नी विक्रान्त मिश्रा निवासी कांशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मूल पता ग्राम मनवल पोस्ट सैदपुर गड़ऊर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र करीब 32 वर्ष को उनके घर कांशीराम आवास जाफरपुर से कल समय करीब 18.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।

### आपराधिक इतिहास

विक्रान्त मिश्रा -

1. मु0अ0सं0- 173/23 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 94/23 धारा 406/419/420/468/471/504/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 01/25 धारा 2ख(1) /3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

रंजना मिश्रा:-

1. मु0अ0सं0- 173/23 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 94/23 धारा 406/419/420/468/471/504/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 01/25 धारा 2ख(1) /3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 236/23 धारा 406/420 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
5. मु0अ0सं0- 206/23 धारा 406/420 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
6. मु0अ0सं0- 475/23 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विक्रान्त मिश्रा पुत्र सत्यप्रकाश मिश्रा निवासी कांशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मूल पता ग्राम मनवल पोस्ट सैदपुर गड़ऊर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र औसत करीब 25 वर्ष
2. रंजना मिश्रा पत्नी विक्रान्त मिश्रा निवासी कांशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मूल पता ग्राम मनवल पोस्ट सैदपुर गड़ऊर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र करीब 32 वर्ष

